(197)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी प्रकरण क्रमांक - R-691-III/2011

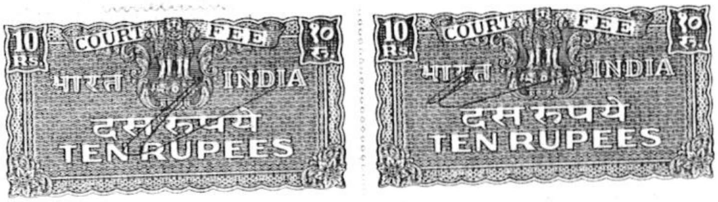

भलुवा काछी तनय स्व० ददुवा काछी निवासी ग्राम बांधी
तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र० - निगराकार

बनाम

1. पराग काछी पिता ददुवा काछी
2. बुटाई काछी पिता ददुवा काछी
3. कल्ली पुत्री ददुवा काछी
4. गुजरतिया पुत्री चुनकीवा काछी
5. बसन्ती पुत्री ददुवा काछी

सभी निवासी ग्राम बांधी तहसील मझगवां जिला
सतना म०प्र० गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय डा० रवीन्द्र पस्तौर, कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 29 /निग०/ 09-10 में पारित आदेश दिनांक 21. फरवरी 2011.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार / निम्नलिखित आधार पर निगरानी पेश कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवां के प्रकरण क्रमांक 69 अपी0/05-06 में पारित आदेश दिनांक 22.6.09 के विरुद्ध निगरानी म०प्र० भू० राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत कलेक्टर महोदय सतना म०प्र० के समक्ष प्रकरण क्रमांक 45/निग0/08-09 में पारित आदेश दिनांक 1.4.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 29/निग0/09-10 पेश की गई है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.691–III / 11 जिला–सतना

भलुवा काछी / पराग काछी वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	